BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त कमल सिंह पुत्र डालचन्द निवासी मौ0 राधा नगर द्वितीय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अपनी पत्नी के गले में साडी का फंदा लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2022 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1111/22 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 14.03.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.11.2024 को न्यायाधीश श्री विजयपाल सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे -1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कमल सिंह को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर